



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GR 806411



■ TAKSHILOLA SHASTRI  
Advocate NOTARY  
■ Distt. Kannauj U.P.  
Regd. No. 21453  
20/10/2023

(प्रारूप "अ")

सत्र 2023 – 24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी

शपथ—पत्र का प्रारूप

हम प्रबन्धक/सचिव देवेन्द्र कुमार एवं अध्यक्ष शीला यादव चौहा सूबेदार सिंह एजूकेशन ट्रस्ट मोहल्ला इब्राहिमगंज गुरुद्वारा रोड करवा व तहसील छिवरामऊ जनपद कन्नौज शापथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं :-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा जी०बी०सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी तरावादेव जी०टी० रोड नवीगंज जनपद मैनपुरी नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम तरावादेव परगना वेवर तहसील भोगाव जनपद मैनपुरी में गाठा संख्या 335 एवं 336 में रकवा 1.247हेंडे हेक्टेयर में 8100वर्ग मीटर(0.810हेंडे) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त प्रते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाठा संख्या 335 एवं 336 में रकवा 1.247हेंडे हेक्टेयर में 8100वर्ग मीटर(0.810हेंडे) भूमि पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की दैठक दिनांक ५/१/२०२३ द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त प्रते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार भी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि ये इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मनकरों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्थे के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोलाइटी/ट्रेनिंग द्वारा सब्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्मित निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय नियीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की नियीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरधित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह० सचिव

Zarognic

## ह० अध्यक्ष श्रीला थारु

29/01/2023 34 P.M  
प्रत्यक्ष दृष्टि का समावेश है।  
दृष्टि का अवधारणा का समावेश है।  
**संपर्क संख्या**  
**351-8188**